संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

राजभाषा विभाग, सचिवालय, दमण

==========

सं. रा.भा. 7 (1)न.रा.का.स./2015/ 30 दिनांक : 12/06/2015

परिपत्र/CIRCULAR

विषय :- **दिनांक 15/01/2015 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन कार्रवाई करने के बारे में ।**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 15/01/2015 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन कार्रवाई करने हेतु आपको सूचित करने का निदेश हुआ है , जैसे ;-

मद सं.- 1. "क" व "ख" क्षेत्र के साथ 90% पत्राचार किये जाने का लक्ष्य प्राप्त करना ।

दमण एवं दीव **"ख" क्षेत्र** में स्थित होने के कारण इस प्रदेश से मूल रूप से 90%पत्राचार हिन्दी में किया जाना अपेक्षित है ।

कृपया आपके कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालयों के साथ मूल रूप से 90% पत्राचार हिन्दी में करने के प्रयास करें । इस बारे में कठिनाई होने पर राजभाषा विभाग की सहायता ली जा सकती है ।

मद सं.- 2. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब अनिवार्य रूप से हिन्दी में देने के बारे में ।

आपको विदित ही है कि राजभाषा नियम-5 के अनुसार दूसरे कार्यालयों से हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में न देकर केवल हिन्दी में दिया जाना अपेक्षित है । कृपया अपने कार्यालयों में प्राप्त सभी हिन्दी पत्रों का जवाब हिन्दी में दें और इस बारे में कठिनाई होने पर राजभाषा विभाग की सहायता ली जा सकती है ।

मद सं.- 3. राजभाषा अधिनियम की धारा-3(3) का समुचित अनुपालन किया जाना ।

1.	सामान्य आदेश /General Orders
2.	परिपत्र /Circular
3.	ज्ञापन /Memorandum
4.	संकल्प / Resolution
5	अधिसूचना / Notification
6.	सूचना / Notice
7.	नियम / Rules
8.	करार / Agreement

9.	संविदा / Contract
10.	प्रेस विज्ञप्ति / Press communiqué
11.	अनुज्ञापत्र / License
12.	निविदा / Tender
13.	निविदा प्रपत्र /Tender Form
14.	संसदीय रिपोर्ट / Parliamentary Report
15	संसदीय प्रश्न / Parliamentary Question

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-3(3) के अंतर्गत आने वाले उपर्युक्त कागजातों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी में अर्थात् हिन्दी एवं अंग्रेजी में जारी किया जाना अपेक्षित है । फिर भी पिछली रिपोर्ट में कुछ कार्यालयों द्वारा राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन किया गया था, जिसे अध्यक्ष महोदय ने गंभीरता से लिया है । इसलिए आपको पुन: सूचित किया जाता है

कि कृपया राजभाषा अधिनियम की धारा-3(3) के अंतर्गत आनेवाले उपर्युक्त सभी कागजातों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी में अर्थात् हिन्दी एवं अंग्रेजी में जारी करने के प्रयास करें । इस बारे में कठिनाई होने पर राजभाषा विभाग की सहायता ली जा सकती है ।

मद सं.- 4. फाइलों पर 50% टिप्पणियॉ हिन्दी में लिखे जाने के बारे में ।

दमण एवं दीव **"ख" क्षेत्र** में स्थित होने के कारण इस प्रदेश के कार्यालयों द्वारा मूल रूप से 50% टिप्पणियॉ हिन्दी में लिखी जानी अपेक्षित है ।

इसलिए आपको पुन: सूचित किया जाता है कि कृपया आपके कार्यालय द्वारा फाइलों पर 50% टिप्पणियॉ हिन्दी में लिखने के प्रयास करें । इस बारे में कठिनाई होने पर राजभाषा विभाग की सहायता ली जा सकती है एवं छोटी-छोटी नियमित लिखी जाने वाली टिप्पणियों का हिन्दी अनुवाद राजभाषा विभाग से कराया जा सकता है ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दमण के सदस्य कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष होने के नाते आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया उपर्युक्त बिंदुओं पर ध्यान देकर अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अनुवाद संबंधी किसी प्रकार की कठिनाई होने पर राजभाषा विभाग की सहायता लेकर राजभाषा नियम एवं अधिनियम के प्रभावी अनुपालन में सहयोग करें ।

(अंतर्यामी परिड़ा)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

सभी कार्यालयाध्यक्ष एवं सदस्य, न.रा.का.स., दमण ।

प्रतिलिपि :

1. प्रशासक की मुख्य स्टाफ अधिकारी, सचिवालय, दमण ।
2. विकास आयुक्त एवं विभागाध्यक्ष, सचिवालय, दमण ।
3. सचिव (वित्त), सचिवालय, दमण ।
4. सचिव (राजभाषा), सचिवालय, दमण ।
5. समाहर्ता, समाहर्तालय, दमण ।
6. उप-सचिव (राजभाषा), दमण ।